(5)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी: घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0)

अपील–37 / 2025

गीता स्याल पुत्री चन्द्रमोहन स्याल निवासी धीमर मौहल्ला भरतपुर तहसील व जिला भरतपुर।

.......अपीलान्ट

बनाम

बाल विकास परियोजना अधिकारी भरतपुर शहर जिला भरतपुर

.......रैस्पोडेन्ट

प्रथम अपील खिलाफ आदेश बाल विकास परियोजना अधिकारी भरतपुर कमांक मबावि / स्था0 / चयन / 2025–26 / 3317 दिनांक 12.11.2025 बाबत

उपस्थित :–

1–श्री राजेश मित्तल अभिभाषक अपीलान्ट,
2–पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 20.2.2026

अपीलान्ट द्वारा जरिये अभिभाषक यह अपील बाल विकास परियोजना अधिकारी भरतपुर शहर द्वारा आंगनवाडी कार्यकर्त्ता केन्द्र धीमर मौहल्ला वार्ड न0 22 शहर भरतपुर के चयन के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। जिसके द्वारा बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा आवेदक गीता को बिना सुनवाई करे ही चयन को निरस्त करने के आदेश से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रैस्पोडेन्ट की तलब की गई । रैस्पोडेन्ट की ओर से जबाब प्रस्तुत किया।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्को में अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि बाल विकास परियोजना अधिकारी भरतपुर शहर भरतपुर के आदेश दिनांक 12.11.2025 से आंगनवाडी कार्यकर्त्ता वार्ड न02 धीमर मौहल्ला भरतपुर के पद से पृथक कर दिया गया। अपीलार्थी की नियुक्ति के पश्चात् से ही रेस्पोडेन्ट अपीलार्थी को मानदेय सेवा से हटाने के प्रयत्नरत रहे तथा इसी के परिणामस्वरूप उनके द्वारा अपीलार्थी प्रशिक्षण केन्द्र बदला जाता रहा। अपीलार्थी द्वारा कभी भी कोई भी प्रशिक्षण केन्द्र बदलने

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

(5)

...त नही किया गया तथा रेस्पोडेन्ट ने अपने कार्यालय में नियुक्त कार्यकर्त्ता एवं पर्यवेक्षक से अपीलार्थी को मानदेय सेवा से पृथक करने के आधारों के परिणाम स्वरूप दबाब बनाकर रिपोर्ट प्राप्त की गई। अपीलार्थी की आंगनवाडी केन्द्र पर किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई शिकायत नही की गई और न ही अपीलार्थी के काम नही करने बाबत शिकायत की गई थी। यदि अपीलार्थी कार्य करने की इच्छुक नही होता तो अपीलार्थी मानदेय सेवा समाप्ति के आदेश के विरूद्व अपील प्रस्तुत नही करती। अपीलार्थी कभी भी प्रशिक्षण केन्द्र बदलने एवं काम नही करने सबंधी तथ्य रेस्पोडेन्ट को निवेदन किया गया क्योकि यदि अपीलार्थी उक्त तथ्य रेस्पोडेन्ट को कहा जाता तो रेस्पोडेन्ट का विधिक दायित्व था कि वह अपीलार्थी से उक्त तथ्य को लिखित में प्राप्त करता। रेस्पोडेन्ट ने अपीलार्थी को कभी भी कोई नोटिस नही दिया और ना ही कोई विभागीय जांच संपादित की है बल्कि आंगनवाडी कार्यकर्त्ता को अनुचित लाभ प्राप्त कर कार्य पर रखने के उद्देश्य से झूंठी रिपोर्ट अपने ही कार्यकर्त्ता से प्राप्त की तथा किसी भी स्वंतत्र व्यक्ति से कोई भी बयाना दर्ज नही कराये । उक्त समस्त तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजातो से यह प्रमाणित है कि अपीलार्थी को प्रताडित करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण केन्द्र बदले गये एवं अपीलार्थी की उपस्थिति के बावजूद भी अनुपस्थिति दर्ज कर मानदेय सेवा से पृथक किया गया। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट का आदेश दिनांक 12.11.2025 अवैध है तथा निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी ने उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास अधिकारी भरतपुर के समक्ष दिनांक 14.11.2025 को एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि उसने 10 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है तथा मुझे आंगनवाडी कार्यकर्त्ता के पद पर नियुक्ति आदेश प्रदान करने की कृपा करें। अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलार्थी को दिनांक 01.12.2025 को हुई। जिसमें उसे मानदेय सेवा से पृथककीकरण की कार्यवाही करने का ओदश प्राप्त हुआ। इस प्रकार समस्त कार्यवाही रेस्पोडेन्ट द्वारा उसके बैक में की गई है। इसलिए अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेन्ट का आदेश दिनांक 12.11.2025 को निरस्त कर अपीलार्थी को वार्ड संख्या 22 के आंगनवाडी कार्यकर्त्ता के पद पर पुनः बहाल किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया है।

पैरोकार सरकार बाल विकास परियोजना अधिकारी भरतपुर शहर ने अपने कथनों में जाहिर किया है कि कार्यालय उपनिदेशक महिला एंव बाल विकास विभाग भरतपुर की विज्ञप्ति संख्या 01/2025–2026 दिनांक 11.03.2025 के द्वारा परियोजना भरतपुर शहर के रिक्त पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई थी। विज्ञप्ति में धीमर मौहल्ला 1 पर आंगनवाडी कार्यकर्त्ता के रिक्त पद पर 10.7.2025 तक आवेदन आमंत्रित किये गये जिसके लिए 11 आवेदन पत्र प्राप्त हुये, यह पद अनारक्षित श्रेणी के तहत आता है। कुल 11 आवेदकों के समस्त दस्तावेजों की जांच उपरांत सुश्री गीता स्याल पुत्री चन्द्रमोहन स्याल को सर्वाधिक 9 अंक प्राप्त हुये जिसके पश्चात उन्हे प्रथम वरीयता प्रदान की गई। द्वितीय वरीयता पर कृष्णा कुमारी को 6 व तृतीय वरीयता प्राप्त रेखा कुमारी को भी 6 अंक प्राप्त हुये। कार्यालय द्वारा वरीयता निर्धारित करने के उपरांत उपखण्ड अधिकारी भरतपुर की अध्यक्षता में गठित चयन समिति की बैठक दिनांक 17.9.2025 को हुई जिसमें चयन समिति ने सुश्री गीता स्याल के चयन को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया। कार्यालय के आदेश कमांक मबावि/चयन/2025–2026/3018 दिनांक 18.9.2025 के द्वारा सुश्री गीता स्याल के चयन आदेश जारी कर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

आदेश कमांक 3049 दिनांक 19.9.2025 को 10 दिवसीय प्रशिक्षण के लिए नजदीकी आंगनवाड़ी केन्द्र अटलबंध के नाम आदेश जारी किये गये। यहां यह उल्लेखनीय है कि कोविड महामारी से पूर्व (विभागीय परिपत्र कमांक 150819 दिनांक 9.11.2016 के अनुसार) नव चयनित आगंनवाडी कार्यकर्त्ता को नियमित 1 माह के आवासीय प्रशिक्षण विभाग द्वारा करवाया जाता था किन्तु कोविड 19 की परिस्थितियों में नियमित प्रशिक्षण को बंद कर दिया गया। निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाऐं राजस्थान जयपुर के आदेश कमांक 151531 दिनांक 28.12.2020 के द्वारा नव चयनित आंगनवाडी केन्द्र की कार्यकर्त्ता के साथ 10–15 दिनो के लिए संबद्ध किया जाकर आंगनवाडी केन्द्र की समस्त गतिविधियों की वास्तविक रूप से जानकारी दी जाये एवं महिला पर्यवेक्षक द्वारा इनका विशेष रूप से पर्यवेक्षण किया जावें। 10–15 दिनों के वास्तविक अनुभव/पर्यवेक्षण के आधार पर नव चयनित आंगनवाडी कार्यकर्त्ताओं के अस्थायी कार्यादेश/नियुक्ति आदेश जारी किये जाते हैं जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित होता हैकि इस आदेश के 1 वर्ष की अवधि के अन्दर इन्हे निर्धारित नियमित आवासीय कार्यविधि प्रशिक्षण करना अनिवार्य होगा।

सुश्री गीता स्याल को आवंटित आगंनवाडी केन्द्र अटलबंध पर 3 दिन गई वो भी थोडे समय के लिए कार्यकर्त्ता श्री सुनीता ने लिखित में अवगत कराया कि सुश्री गीता आंगनवाडी केन्द्र का कार्य करने के लिए बिल्कुल भी इच्छुक नही और सुश्री गीता ने कहां कि उन्हें पहले पता होता तो वे इस पद के लिए फार्म भी नही भरती। उक्त केन्द्र पर सुश्री गीता के द्वारा कार्य नही करने के कारण सबंधित पर्यवेक्षक ने रिपोर्ट प्रस्तुत की कि इनके प्रशिक्षण स्थल को परिवर्तित किया जावे। इस आधार पर इस कार्यालय के आदेश कमांक 3081 दिनांक 25.9.2025 से 10 दिवसीय प्रशिक्षण के लिए आंगनवाडी केन्द्र हरिजन बस्ती अनाह–2 आवंटित किया गया। हरिजन बस्ती अनाह–2 की कार्यकर्त्ता ने अवगत कराया कि सुश्री गीता ने दिनांक 25.9.2025 को दोपहर 1 बजे उन्हें फोन करके पूछा कि आपका केन्द्र कहां है। आपका केन्द्र हरीजन बस्ती में है, वहां पर प्रशिक्षण नही लूंगी, मै भंगियो (मेहेतर) के साथ काम नही कर सकती। इसकी पुष्टि महिला पर्यवेक्षक ने अपनी लिखित रिपोर्ट में की है। महिला पर्यवेक्षक की रिपोर्ट अनुसार सुश्री गीता का प्रशिक्षण स्थल इस कार्यालय के आदेश कमांक 3096 दिनांक 26.9.2025 के द्वारा परिवर्तित कर आंगनवाडी केन्द्र नरी मौहल्ला किया गया। नरी मौहल्ला आंगनवाडी केन्द्र पर सुश्री गीता ने दिनांक 27.9.2025 को अपनी उपस्थिति दी और 10 दिन का प्रशिक्षण लगभग 1 माह में भी पूरा नही किया। नरी मौहल्ला की कार्यकर्त्ता पूजारानी ने लिखित में अवगत कराया कि सुश्री गीता ने 10 दिन का प्रशिक्षण 1 माह में पूरा नही किया। सुश्री गीता कभी भी समय पर केन्द्र पर नही आई और न ही उन्होनें कुछ सीखने की कोशिश की थी वो कहती है कि "मुझे तो सब कुछ आता" श्रीमति पूजारानी ने अवगत कराया कि सुश्री गीता को समय पर आने के लिए केन्द्र की चाबी दी तो उन्होनें चाबी फैंक दी और अपशब्द बोलकर चली गई। सुश्री गीता ने कहा कि 10000 की नौकरी के लिए इतना सब कुछ सहन नही करूंगी। श्रीमती पूजा ने बताया कि सुश्री गीता के भाई कलैक्ट्रेट में बाबू है उनकी धौस हर वक्त सुश्री गीता दिखाती रहती है। सुश्री गीता ने जबरदस्ती उपस्थिति रजिस्टर मे तब भी हस्ताक्षर किये जब वो उस दिन केन्द्र पर आई भी नही थी। सुश्री गीता का कार्य व्यवहार असंतुष्टिजनक एवं असंतोषप्रद रहा है। महिला पर्यवेक्षक ने अपनी रिपोर्ट में

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

अवगत कराया कि सुश्री गीता को तीन बार प्रशिक्षण के लिए भेजा गया लेकिन उन्होंने न ही प्रशिक्षण पूर्ण किया और न ही उनका कार्य व्यवहार संतोषजनक रहा। सुश्री गीता केन्द्र पर आने की इच्छुक नही रहा और न ही कुछ सीखने की इच्छुक रही है, इनके द्वारा अनेकों बार भाई की धमकी दी गई। इनको व्यक्तिगत समझाइश के बाद भी कार्य व्यवहार में कोई सुधार नही किया। सुश्री गीता को मेरे द्वारा भी व्यक्तिगत समझाइश के द्वारा भी कई बार की गई लेकिन सुश्री गीता ने अपने कार्य व्यवहार में कोई सुधार नही किया। सुश्री गीता आंगनबाड़ी केन्द्र के कार्य को निम्नतर समझती रहीं है और कार्य करने की बिल्कुल भी इच्छुक दिखाई नही दी है। सुश्री गीता एक समुदाय विशेष जो कि अनुसूचित जाति वर्ग के सबंध में रखता है उनके प्रति जरा भी संवेदनशील नही है और उनसे घृणा भाव रखती है जो उनके व्यवहार से प्रदर्शित होता है। जबकि आंगनवाडी केन्द्र पर सभी वर्गो के लाभार्थी होते है उनका यह व्यवहार राज्य सरकार के मानदेय कर्मी के रूप में उचित नही है। सुश्री गीता ने 10 दिन के प्रशिक्षण को 1 महीने में भी पूरा नही किया जो उनके मानदेय कर्मी के कार्य के प्रति अरूचि को प्रदर्शित करता है। उनके द्वारा अपशब्द कहना,छीना झपटी करना और अपने भाई की धमकी देना आंगनवाडी कार्यकर्त्ता के रूप में सही व्यवहार नही है तथा रजिस्टर में केन्द्र पर उपस्थित नही होने के बावजूद हाजिरी दर्शाना ,समय पर नही आना उनके व्यवहार के हिंसक पहलू को दर्शाता है। महिला पर्यवेक्षक,सबंधित कार्यकर्त्ताओं के लिखित रिपोर्ट एवं विभागीय दिशा निर्देशों तथा उच्च अधिकारियों की अवहेलना, राजकार्य में अरूचि के आधार पर सुश्री गीता स्याल का कार्यालय क्रमांक 3317 दिनांक 12.11.2025 द्वारा चयन निरस्त किया गया एवं द्वितीय वरीयताधारी अभ्यार्थी को प्रशिक्षण आदेश जारी कि तथा प्रशिक्षण पूरा होने पर उन्हे केन्द्र पर कार्य आदेश प्रदान कर दिये गये है। अन्त में पैरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलान्ट इसी आधार पर खारिज फरमाई जाने का निवेदन किया गया है।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में कार्यालय उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग भरतपुर की विज्ञप्ति संख्या 01/2025–2026 दिनांक 11.06.2025 के द्वारा परियोजना भरतपुर शहर के आंगनवाडी केन्द्र वार्ड न022 पर आंगनवाडी कार्यकर्त्ता पद पर विज्ञप्ति जारी की गई थी। धीमर मौहल्ला आंगनवाडी केन्द्र वार्ड न0 22 पर रिक्त कार्यकर्त्ता के पद पर कुल 11 महिलाओं ने आवेदन किया था जिसमें अपीलान्ट की प्रथम वरीयता समस्त दस्तावेजों की जांच उपरांत कार्यालय द्वारा निर्धारित की गई। वरीयता सूची निर्धारित कर शहरी चयन समिति द्वारा दिनांक 17.9.2025 को अनुमोदन किया गया व कार्यालय आदेश कमांक मबावि/चयन/2025–26/3018 दिनांक 18.9.2025 से अपीलार्थी का चयन किया गया। निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाऐं राजस्थान जयपुर के आदेश कमांक 151531 दिनांक 28.12.2020 के द्वारा नव चयनित आंगनवाडी केन्द्र की कार्यकर्त्ता के साथ 10–15 दिनो के लिए संबद्व किया जाकर आंगनवाडी केन्द्र की समस्त गतिविधियों की वास्तविक रूप से जानकारी एवं महिला पर्यवेक्षक द्वारा इनका विशेष रूप से पर्यवेक्षण किये जाने तथा 10–15 दिनों के वास्तविक अनुभव/पर्यवेक्षण के आधार पर नव चयनित आंगनवाडी कार्यकर्त्ताओं के अस्थायी कार्यादेश /नियुक्ति आदेश जारी किये जाते है जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित होता है कि इस आदेश के 1 वर्ष की अवधि के अन्दर इन्हे निर्धारित नियमित आवासीय कार्यविधि प्रशिक्षण करना अनिवार्य

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

अनुभव / पर्यवेक्षण के आधार पर नव चयनित आंगनवाडी कार्यकर्त्ताओं के अस्थायी कार्यादेश / नियुक्ति आदेश जारी किये जाते है जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित होता है कि इस आदेश के 1 वर्ष की अवधि के अन्दर इन्हे निर्धारित नियमित आवासीय कार्यविधि प्रशिक्षण करना अनिवार्य होगा। अपीलार्थी को कार्यालय आदेश 3048 दिनांक 17.9.2025 से नजदीकी आंगनवाडी केन्द्र अटलबंध भरतपुर पर सबद्व किया गया। आंगनवाडी केन्द्र अटलबंध की कार्यकर्त्ता ने शिकायत की जिस पर अपीलार्थी का प्रशिक्षण स्थल कमांक 3081 दिनांक 25.9.2025 से हरीजन बस्ती अनाह–2 किया गया। वहां पर भी अपीलार्थी की शिकायत सबंधित आंगनवाडी कार्यकर्त्ता ने की तदुपरांत अपीलार्थी का प्रशिक्षण स्थल पत्रांक 3096 दिनांक 26.9.2025 से आंगनवाडी केन्द्र नरी मौहल्ला किया गया। नरी मौहल्ला आंगनवाडी केन्द्र पर सुश्री गीता ने दिनांक 27.9.2025 को अपनी उपस्थिति दी और 10 दिन का प्रशिक्षण लगभग 1 माह में भी पूरा नही किया। नरी मौहल्ला की कार्यकर्त्ता ने लिखित में अवगत कराया कि सुश्री गीता ने 10 दिन का प्रशिक्षण 1 माह में पूरा नही किया। सुश्री गीता कभी भी समय पर केन्द्र पर नही आई और न ही उन्होनें कुछ सीखने की कोशिश की थी वो कहती है कि "मुझे तो सब कुछ आता" श्रीमति पूजारानी ने अवगत कराया कि सुश्री गीता को समय पर आने के लिए केन्द्र की चाबी दी तो उन्होनें चाबी फैंक दी और अपशब्द बोलकर चली गई। सुश्री गीता ने कहा कि 10000 की नौकरी के लिए इतना सब कुछ सहन नही करूंगी। श्रीमती पूजा ने बताया कि सुश्री गीता के भाई कलैक्ट्रेट में बाबू है उनकी धौस हर वक्त सुश्री गीता दिखाती रहती है। सुश्री गीता ने जबरदस्ती उपस्थिति रजिस्टर मे तब भी हस्ताक्षर किये जब वो उस दिन केन्द्र पर आई भी नही थी। सुश्री गीता का कार्य व्यवहार असंतुष्टिजनक एवं असंतोषप्रद रहा है। महिला पर्यवेक्षक ने अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया कि सुश्री गीता को तीन बार प्रशिक्षण के लिए भेजा गया लेकिन उन्होनें न तो प्रशिक्षण पूर्ण किया और न ही उनका कार्य व्यवहार संतोषजनक रहा। सुश्री गीता केन्द्र पर आने की इच्छुक नही रहा और न ही कुछ सीखने की इच्छुक रही है, इनके द्वारा अनेकों बार भाई की धमकी दी गई। इनको व्यक्तिगत समझाइश के बाद भी कार्य व्यवहार में कोई सुधार नही किया। सुश्री गीता को मेरे द्वारा भी व्यक्तिगत समझाइश के द्वारा भी कई बार की गई लेकिन सुश्री गीता ने अपने कार्य व्यवहार में कोई सुधार नही किया। इस सबंध में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में बिना किसी कारण के बार–बार आंगनवाडी केन्द्र बदले गये है तथा उसे बिना किसी कारण के मानदेय सेवा से पृथक किया गया है।

प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। प्रथमतः अपीलार्थी का चयन विधिक रूप से वरीयता अनुसार किया गया है तथा विभाग के निर्देशानुसार अपीलार्थी को प्रशिक्षण हेतु केन्द्र आंवटित किया गया। आंगनवाडी कार्यकर्त्ताओं व महिला पर्यवेक्षक की रिपोर्ट के आधार पर आंगनवाडी केन्द्र परिवर्तित किये गये है। अपीलार्थी का चयन पत्रांक 3317 दिनांक 12.11.2025 से उक्त लिखित रिपोर्टो के आधार पर एवं विभागीय दिशा निर्देशों व उच्च अधिकारियों के आदेश की अवहेलना के आधार पर निरस्त किया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी को विभाग द्वारा कोई नोटिस एवं किसी भी कार्यवाही किये जाने का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी को किसी प्रकार का नोटिस नही दिया और न ही उसे सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

(9)

विभाग को मानदेय सेवा पृथकीकरण से पूर्व अपीलार्थी की सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर दिया चाहिये था जो उनके द्वारा नही दिया गया है। इस प्रकार विभाग के मानदेय सेवा पृथकीकरण कार्यवाही एकपक्षीय की गई है जो कि प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के अनुरूप नही है अतः अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आज्ञा है कि----

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर बाल विकास अधिकारी भरतपुर शहर भरतपुर को मानदेय सेवा पृथकीकरण आदेश क्रमांक 2317 दिनांक 12.11.2025 को निरस्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुरूप नियमानुसार सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये विधिक निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति महिला एवं बाल विकास अधिकारी भरतपुर शहर को सूचनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली नंबर से कम होकर फैसल शुमार हो बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.2.2026 को सुनाया गया।

(घनश्याम शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर